दिनांक 28.10.2022 को प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित मिनिस्टीरियल एसोसिएशन (प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय कार्यालय), यू0पी0पी0डब्लू0डी0 सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन एवं यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 6.9.2022 को आयोजित उपरोक्त संघों की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन), लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं विभिन्न सेवा संघों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1. श्री वी0के0 जैन, मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. श्री विजय सिंह, वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई-3), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. कु0 अंजुम परवीन, वैयक्तिक सहायक (मि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्री बीरेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
5. श्री ओम प्रकाश यादव, महामंत्री, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
6. श्री राम हेत यादव, प्रदेश संयुक्त मंत्री प्रथम, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
7. श्री सुनील कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन
8. श्री जे0पी0 तिवारी, महामंत्री, सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
9. श्री पारस नाथ आर्या, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
10. श्री जे0पी0 पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री, उ0प्र0 लो0नि0वि0 मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
11. श्री सुधांशु शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उ0प्र0 लो0नि0वि0 मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
12. श्री जितेन्द्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन।
13. श्री सर्वेश कुमार, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन।

बैठक में विभिन्न सेवा संघों को उनकी मांगों/समस्याओं पर मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा अब तक कृत कार्यवाही/अनुपालन से अवगत कराया गया। अवशेष प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन) द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये गयेः-

मिनिस्टीरियल एसोसिएशन (कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय) द्वारा उठाई गयी मांगे

क्रम सं0	बिन्दु	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या	प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देश
1	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिक कर्मचारियों की विगत 01 वर्ष से पदोन्नति की कार्यवाही लम्बित है। अतः पदोन्नति की कार्यवाही 10 दिनों के अन्दर पूर्ण करायी जाय।	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/ क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का अंतिमीकरण होते ही पदोन्नति संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को दिनांक 3.11.2022 तक ज्येष्ठता सूची जारी करने तथा उसके सप्ताह के अन्दर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
2	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिक कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची काफी लम्बे समय से निर्गत नहीं की गयी है, जिसे शीघ्र निर्गत करायी जाय।	यह प्रकरण काफी जटिल है क्योकि वर्ष 2003 से लेकर आज की आपत्तियां भी देखी जानी है। तथा इसमें समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों में योजित रिट याचिका को भी इसके निस्तारण हेतु बैठक आहूत की गई है। शीघ्र	

		ही इसका निस्तारण कर ज्येष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी।	
3	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिक कर्मचारी जिन्हें नियमित डिप्लोमा हेतु उच्च शिक्षा की अनुमति अर्द्ध वेतन पर विभाग द्वारा प्रदान करते हुए अवकाश स्वीकृत किया गया है, परन्तु अवकाश अवधि में कार्यालय कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो कि गलत है। अतः किये गये स्थानान्तरण को निरस्त/स्थगित किया जाय।	नियमित डिप्लोमा हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहें कर्मचारियों का स्थानान्तरण के स्थगन का आदेश दिनांक 20.10.2022 को जारी कर दिया गया है। इस प्रकार मांग पूरी की जा चुकी है।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
4	श्री पंकज दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री संजय कुमार चौरसिया, प्रधान सहायक व्यवस्थापन 'घ' वर्ग के निलम्बन समाप्त कराये जाय।	श्री पंकज दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री संजय कुमार चौरसिया, प्रधान सहायक व्यवस्थापन 'घ' वर्ग को आरोप पत्र निर्गत कर दिये गये है। जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।	इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी को त्वरित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।
5	लोक निर्माण विभाग में विगत 04 वर्षो से अवर अभियन्ता संवर्ग के 05 प्रतिशत पदों पर समूह 'ग' में कार्यरत विभागीय अनुमति प्राप्त डिप्लोमाधारी पात्र कार्मिकों की पदोन्नति नहीं की जा रही है, जबकि संघ द्वारा उच्चाधिकारियों से साथ पदोन्नति के संबंध में कई बैठकें की गयी। अतः पात्र कार्मिकों की अवर अभियन्ता के पद पर शीघ्र पदोन्नति करायी जाय।	सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को डिप्लोमा धारको के प्रकरण में व्यवस्थापन 'ग' वर्ग के पत्रांक-5077 व्यग/01व्यग(22)/2022 दिनांक 6.10.2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को दि0 5.11.2022 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र जारी किया जाये। सूचनाओं के प्राप्त हो जाने के पश्चात एक समिति का गठन करते हुए प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाये।
6	शासनादेश सं0-84/2018/829/23-3-16-23ई एस/2015 दिनांक 23.05.2018 द्वारा 06 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय की स्थापना करते हुए 06 मुख्य अभियन्ताओं के पदों का सृजन किया गया है, किन्तु उक्त कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पदों का सृजन नहीं किया गया है। व्यवस्थापन 'क' वर्ग के पत्रांक- 1353ईए/1ईए (पुनर्गठन)/18 दिनांक 25.03.2021 द्वारा 84 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, किन्तु अभी तक उक्त पदों का सृजन नहीं हुआ है। अतः पदों का सृजन शीघ्र कराया जाय।	यह कार्यवाही व्यवस्थापन ''क'' वर्ग से की जा रही है। संघ की मांगों के सापेक्ष व्यवस्थापन ''क'' वर्ग को इस कार्यालय से पत्र लिखा गया है। उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।	प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन) की ओर से प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को स्मरण पत्र लिखा जाये।
7	शासनादेश संख्या-3374/23-7-2004-19 (सा)/99 दिनांक 20.07.2004 द्वारा लो0नि0वि0 के खण्डीय कार्यालयों में वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के 41 पदों का सृजन	इस संबंध में विचार कर निर्णय लेने हेतु पत्र इस कार्यालय से प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, को लिखा गया है।	आज की वार्ता के क्रम में एक स्मरण पत्र लिखा जाये।

	किया गया, परन्तु लो0नि0वि0 के प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन नहीं किया गया। जबकि शासनादेश सं0-वे0आ0-2-401/दस- 54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18.03.2011 एवं उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली- 2014 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किये जाने का प्राविधान है।		
8	शासनादेश सं0-वे0आ0-2-401/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18.05.2011 एवं उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान रु0-22400-24500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रु0-67000-3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर-79000 के स्तर के प्राविधानित है। वहां मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद का प्रशासकीय आदेश निर्गत कराने के संबंध में।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) की ओर से पत्र दिनांक 20.10.2022 द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
9	ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन मय ग्रेड वेतन रु0-2400 को इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन रु0-2800 प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।	प्रकरण वित्त नियंत्रक की राय लेने के पश्चात् प्रेषित कर दिया जायेगा।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
10	संघ द्वारा उच्चाधिकारियों को लिपिक कर्मचारी की समस्याओं के संबंध में जो पत्राचार किये जाते हैं, उन पत्रों को उच्चाधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अतः संघ के पत्र प्रेषित करने के एक सप्ताह के अन्दर यथोचित कार्यवाही करते हुए संघ को सूचित किया जाय।	संघ की समस्याओं का संज्ञान बराबर लिया गया है। कार्यवाही भी की गई है। जिसकी जानकारी संघ को स्वतः अपने सदस्यों के माध्यम से होती रहती है। इस कार्यालय द्वारा भी उनको लिखित रूप से अवगत कराया जा रहा है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि संघ द्वारा किये गये समस्त पत्राचारों के क्रम में की गयी कार्यवाही की सूचना/पत्रों की प्रति संघों को उपलब्ध कराई जाये।
11	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के परिवाद वर्ग एवं बजट 'ख' वर्ग तथा भूमि अध्याप्ति वर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वच्छ शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था शीघ्र करायी जाय।	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1 (सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ तत्काल निरीक्षण कर शौचालयों की मरम्मत/निर्माण की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक-19.10.22 द्वारा लिखा गया।	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1 (सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ को निर्देशित किया गया तथा उनके द्वारा तत्काल स्वयं संज्ञान लेते हुए निरीक्षण किया गया तथा शीघ्र कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

यू0पी0पी0डब्लू0डी0 सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन द्वारा उठाई गयी मांगे

क्रम सं0	बिन्दु	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या	प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देश
1	प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक की दिनांक 30.09.2022 तक पदोन्नति की सूची जारी की जाय।	इस कार्यालय के पत्रांक- 133 व्यखशा/110व्यख/17 दिनांक 25.10.2022 द्वारा दिनांक प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति हेतु दिनांक 4.11.2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे मुख्य अभियन्ता (मु0-2) के कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को दिनांक 5.11.2022 तक ज्येष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति करने के निर्देश दिये गये।
2	लम्बित ज्येष्ठता सूची जारी की जाय।	दिनांक 29.10.2022 को मुख्य अभियन्ता (मु0-2) महोदय द्वारा उनके कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।	
3	शासनादेश द्वारा विगत कई वर्षो से लम्बित पांच प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी लिपिकों की पदोन्नति अवर अभियन्ता के पद पर की जाय।	सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को डिप्लोमा धारको के प्रकरण में व्यवस्थापन 'ग' वर्ग के पत्रांक-5077व्यग/01व्यग (22) /2022 दिनांक 06.10.2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को दिनांक 5.11.2022 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र जारी किया जाये। सूचनाओं के प्राप्त हो जाने के पश्चात एक समिति का गठन करते हुए प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाये।
4	वर्ष 2019 के कर्मचारियों की स्थाईकरण की सूची निर्गत की जाय।	दिनांक 29.10.2022 को मुख्य अभियन्ता (मु0-2) महोदय द्वारा उनके कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।	जो भी प्रकरण प्राप्त हो गये हैं उनके स्थायीकरण की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाये।
5	शासनादेश सं0-3/2015-13(2)/2015 का-1-2015 दिनांक 12.08.2015 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने हेतु पत्र जारी किया गया है, जिसके तारतम्य में विभाग द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश देते हुए पत्र जारी कर अवगत कराया जाय।	उक्त शासनादेश के संबंध में तत्समय कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।	शासनादेश का अध्ययन कर उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के मध्य परिचालित किया जाये।
6	स्थानान्तरण नियमावली के विरूद्ध किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किया जाये जिसमें श्री द्वारिका उपाध्याय, क्षेत्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ क्षेत्र का प्रकरण लम्बित है।	इस कार्यालय के पत्रांक-3052 व्यख/186व्यख/19 दिनांक 13.09.2022 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया जा चुका है।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

7	शासनादेश सं0-07/2022/6/ 12/ 73/47का-2-2022 टी0सी0-पअ दिनांक 04 मई, 2022 द्वारा मृतक आश्रित शासनादेश का संशोधन नियमावली 2021 प्राख्यापित की गयी है, जिसमें पुत्रियां, विधवा पुत्र वधुएं, दत्तक पुत्रियां सम्मिलित है, का प्राविधान किया गया है, के संबंध में व्यवस्थापन 'ख' वर्ग लो0नि0वि0, लखनऊ से समस्त मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता को पत्र जारी किया जाय।	उक्त शासनादेश पत्रांक-134 व्यखशा/टी0सी0/2022 दिनांक 25.10.2022 द्वारा पृष्ठांकन पत्र जारी किया जा चुका है।	नियमावली को आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के मध्य परिचालित किया जाये।
8	संघ द्वारा समय-समय पर जारी किये गये पत्रों पर संज्ञान लेकर कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाय।	संघो को अवगत कराया जायेगा।	अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में संघ को जारी पत्रों की छायाप्रतियॉ उपलब्ध करा दी जाये।
9	श्रीमती कादम्बरी सक्सेना, प्रधान सहायक का जनपद बरेली से निजीहित में स्थानान्तरण जनपद इलाहाबाद से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर से संस्तुति की गयी थी, परन्तु उनका स्थानान्तरण बरेली से मिर्जापुर कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है।	इस कार्यालय के पत्रांक- 3102व्यख/184व्यख/19 दिनांक 15.09.2022 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जा चुका है।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन (खण्डीय संवर्ग) की अनुपालन आख्या

क्रम सं0	बिन्दु	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या	प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देश
1	पाँच प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत समूह ग के विभागीय कर्मचारियो को अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के प्रकरण पर विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।	सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को डिप्लोमा धारको के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक- 5077व्यग/ 01 व्यग(22)/2022 दि0 6.10. 2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को दिनांक 5.11.2022 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र जारी किया जाये। सूचनाओं के प्राप्त हो जाने के पश्चात एक समिति का गठन करते हुए प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यालय से जारी किये गये ज्येष्ठता क्रमांक सूची के अनुसार समस्त अर्ह कार्मिकों के पदोन्नति/स्थायीकरण आदेश दिनांक 10.11.2022 तक जारी करने हेतु भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं का पत्र लिखा जाये।
2	मुख्य अभियन्ता मु0-2, द्वारा प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नत के प्रकरण पर लगातार कई माह से विलम्ब किया जा रहा है, जिससे पात्र कार्मिक को	प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।	प्रमुख अभियन्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रश्नगत कार्मिकों के समयबद्ध प्रोन्नति हेतु वर्ष में 02 बार डी0पी0सी0 के स्थान पर 01 डी0पी0सी0 की जाये, जिसके आधार पर पद रिक्त होने पर तत्काल पदोन्नति की जा सके।

	आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है।		संघ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कुछ कार्मिक आगामी कुछ माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा उनकी डी0पी0सी0 छूट गयी है। अतः उनकी डी0पी0सी0 की प्रक्रिया माह नवम्बर में कर ली जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
3	मुख्य अभियन्ता मु0-2, के द्वारा अर्द्व वेतन अवकाश पर डिप्लोमा/उच्च शिक्षा के प्रकरण काफी समय से लम्बित रखे गये है। जिससे की सम्बंधित कर्मचारी को आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार होना पड रहा है।	सभी प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं।	वार्ता के क्रम में निर्देश दिये गये कि डिप्लोमा/उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष समस्त प्रत्यावेदन माह मई तक प्राप्त कर, जून माह में अनुमति जारी किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाये, जिससे एक साथ समेकित सूची जारी की जा सके।
4	ज्येष्ठता सूची में छूटे हुए व नव नियुक्त कर्मचारियों के नाम जोडने के प्रकरण मे मुख्य अभियन्ता मु0-2, द्वारा कोई रूची नही ली जा रही है, जिससे की पात्र कार्मिक की पदोन्नत नही हो पा रही है।	ज्येष्ठता सूची में छूटे हुए नाम सम्मिलित किये जा चुके है।	**समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को निम्न आशय का पत्र लिखा जाये-** 1. दिनांक 5.1.2019 से पूर्व नियुक्त किसी कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में नहीं छूटा है, का प्रमाण पत्र दिनांक 10.11.2022 तक प्राप्त करने हेतु। 2. दिनांक 5.1.2019 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जोड़ने हेतु दिनांक 10.11.2022 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5	शासन द्वारा सम्बद्वीकरण समाप्त होंने के बावजूद खण्डीय सहायको को अधिकारियो द्वारा अपने निजीहित में सम्बद्व किया जा रहा है जिससे की खण्ड का महौल खराब हो रहा है।	संघ द्वारा कोई प्रकरण संज्ञान में नही लाया गया। इस आशय का संगठन को पत्र सं0- 10015 व्यग/7व्यग (06)/22 दिनांक 21.10.2022 लिखा जा चुका है, जिसके प्रतिउत्तर में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि नवसृजित 06 मुख्य अभियन्ता कार्यालयों को छोड़कर शेष अन्य कार्यालयों में सम्बद्ध कार्मिकों के सम्बद्धीकरण समाप्त करने तथा भविष्य में सम्बद्धीकरण अपने स्तर से न किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को पत्र जारी करें।
6	छद्‌म शिकायतो पर शिकायती पत्र की बिना जाँच कराये खण्डीय सहायको के विरूद्व कार्यवाही के आदेश विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा दिये जा रहे है, जिससे की संगठन में रोष व्याप्त है।	इस कार्यालय के पत्र सं0-1710 व्यग/07व्यग (06)/संघ/22 दिनांक 09.09.2022 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित है। यदि कोई प्रकरण संघ के संज्ञान में हो तो अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को शिकायतों के निस्तारण एवं उन पर कार्यवाही हेतु स्थापित नियमों/शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी करेंगे।

7	उपस्थिति पंजिका पर सिर्फ सहायको के नाम ही लिखे जाते है नियमतः विभाग द्वारा वेतन आहरित करने वाले समस्त अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति अवश्य दर्ज की जानी चाहिये।	कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव किया जाता है। अधिकारी वर्ग की उपस्थिति पंजिका के संबंध में कोई नियमावली संज्ञान में नहीं है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को खण्डीय कार्यालयों में मूवमेन्ट रजिस्टर मेन्टेन कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जाये।
8	पटल परिवर्तन का विभाग में पूर्णतयः क्रियान्वयन नही किया जा रहा है। अभी भी कई उच्चधिकारियों द्वारा पटल परिवर्तन की गलत सूचना आपको प्रेषित की गयी है/की जा रही है।	समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा पटल परिवर्तन की सूचना प्राप्त हो चुकी है एवं संघ के संज्ञान में गलत सूचना को लेकर यदि कोई प्रकरण हो तो उन्हें इस कार्यालय के पत्रांक- 10019 व्यग/07व्यग(06)/22 दिनांक 25.10.2022 द्वारा अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।	एक बार पुनः मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा पटल परिवर्तन को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में पत्र लिखा जाये।
9	स्थानान्तरण के उपरान्त भी विभाग में कई कर्मचारियों/ अधिकारियों को कार्यमुक्त नही किया गया है। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त/पटल परिवर्तन की सूचना मांगे जाने पर खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं की भेदभाव की नीति के कारण संगठनों मे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।	सभी कर्मचारी कार्यमुक्त किये जा चुके हैं एवं संघ के संज्ञान में जो प्रकरण हो उन्हें अवगत कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-10019 व्यग/07व्यग (06)/22 दि0-25.10.2022 अनुरोध किया गया है।	एक बार पुनः मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा कार्यमुक्ति को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अनुस्मरण पत्र लिखा जाये।
10	पदोन्नति न किये जाने के कारण विभाग द्वारा शासन को अधियाचन की बार बार गलत सूचना भेजी जा रही है।	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक एवं प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवंटित क्रमांको के सापेक्ष कार्यवाही क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की जानी है। पत्र सं0-2096 व्यग/7व्यग (58)/पदोन्नति/2009 दि0 10.08.2022 के द्वारा क्रमांक आवंटित किये गये हैं एवं पत्र संख्या-6028व्यग/7व्यग(58)/ पदोन्नति/2009 दिनांक 08.09.2022 व पत्रांक-10017 व्यग/ 7व्यग(58)/पदोन्नति/2009 दि0 25.10.2022 द्वारा पुनः 10.11.2022 तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। ताकि अधियाचन की सही	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर समस्त पदोन्नतियाँ 10.11.2022 तक किये जाने हेतु पत्र जारी किया जाये तथा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि पदोन्नति का कोई प्रकरण उनके यहाँ लम्बित नहीं है।

		सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।	
11	वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने सम्बंधित कई शासनादेशो का पालन विभाग में नही किया जा रहा है। जबकि शासन स्तर की डी0पी0सी0 में अधिकारी स्तर की गोपनीय आख्या समय से बुलाकर लिखी जाती है केवल खण्डीय सहायको की भ्रामक तरीके से लिखी जा रही है	अनुपालन हेतु समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता को पत्र सं0-10014 व्यग/7व्यग(06)/22 दिनांक 21.10.2022 द्वारा लिखा जा चुका है।	कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या समयबद्ध रूप से लिखे जाने हेतु समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं को पत्र जारी किया जाये तथा संघ से अनुरोध किया गया कि वह भी अपने सदस्यों को समय पर वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र भरकर खण्ड में प्रस्तुत करने हेतु कहें तथा यदि कोई प्रकरण विशेष संज्ञान में लाना चाहें तो दे सकते हैं, उस पर पृथक से कार्यवाही करा दी जायेगी।
12	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाहियो को नियमानुसार निस्तारण एक निश्चित समयायधि के अर्न्तगत कर दिया जाए। ताकि किसी खण्डीय सहायकों किसी भी मानसिक पीडा का सामना न करना पडे।	शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को इस कार्यालय के पत्र सं0-10013व्यग/7व्यग(06)/22 दिनांक 21.10.2022 द्वारा लिखा जा चुका है।	समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/ अधीक्षण अभियन्ताओं को लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में एक माह के अन्दर कार्यवाही पूर्ण करने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता की ओर से पत्र प्रेषित किया जाये।
13	जनपद प्रयागराज में यांत्रिक खण्ड के दूसरे जनपद फतेहपुर में स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा उस खण्ड के खण्डीय सहायको का स्थानीय समायोजन जनपद प्रयागराज के ही अन्य खण्ड मे न किये जाने के उक्त खण्ड में कार्यरत खण्डीय सहायाको को मानसिक पीडा से गुजरना पड रहा है।	अनुपालन हेतु मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज को पत्र सं0-10016 व्यग/7व्यग(06)/22 दिनांक 21.10.2022 द्वारा लिखा जा चुका है।	प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र से दूरभाष पर वार्ता की गयी जिसमें उनके द्वारा अपेक्षानुरूप कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
14	इस वर्ष एक भी निजीहित का स्थानान्तरण म मुख्य अभियन्ता मु0-2, के स्तर से नही किये गये है, जबकि निजीहित के स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र, स्थानान्तरण सत्र आने के लगभग 06 माह पूर्व से ही मुख्य अभियन्ता मु0-2, के कार्यालय में प्राप्त कराये जा चुके थे। इनमे कई प्रकरण चिकित्सीय आधार, पति-पत्नी के एक जनपद पर होने आदि से सम्बंधित है।	स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में स्थानान्तरण नीति के अनुसार 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण किये जाने के प्राविधान के सापेक्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण पूर्ण कर लिया गया था। अतः अब उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके नियमानुसार स्थानान्तरण हेतु प्रकरण को शासन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि प्रकरणों की गम्भीरता को देखते हुए स्थानान्तरण प्रकरण शासन को प्रेषित किये जायें।

15	खण्डीय सहायको को व्यावस्थापन, लेखा, कोर्ट केस एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह प्रक्रिया विभाग में पूर्व से ही लागू रही है।	प्रत्येक खण्ड से नियमानुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्राविधान है, मुख्य अभियन्ताओं से 10.11.2022 तक मांगी गयी है, सूची प्राप्त होने पर प्रशिक्षण हेतु कानपुर स्थित केन्द्र को संदर्भित किया जायेगा।	संघ द्वारा यह मांग विभाग के व्यापक हित में की गयी प्रतीत होती है। अतः इस बिन्दु पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहमति व्यक्त की गयी तथा मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सेवा संघों का सहयोग लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार कर, प्रस्तुत करें।

यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 पी0ए0/स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई गयी मांगे

क्र0 सं0	सेवा संघों द्वारा उठाई गई मांग	मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या	प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देश
1	**वैयक्तिक सहायकों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किया जाना।** शासनादेश सं0-3/2015/13(2)/2015/का-1-2015 दिनांक-12.08.2015 द्वारा लिपिक संवर्ग के तीन पदों यथा ग्रेड वेतन 4600 ग्रेड वेतन 4800 एवं ग्रेड वेतन 5400 को राज पत्रित प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई है। संघ आपसे अपेक्षा करता है कि मौलिक रूप में लिपिक संवर्ग से अधिक मूल वेतन पर भर्ती होने वाले आशुलिपिक संवर्ग के भी ग्रेड वेतन 4600 व उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।	इस कार्यालय के पत्रांक-3001 व्यख/82 व्यख-स्टेनो/18 दिनांक-09.09.22 द्वारा वैयक्तिक सहायकों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	प्रेषित पत्र की प्रति संघ को उपलब्ध करा दी जाये।
2	**वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों के ग्रेड वेतन एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना।** वर्तमान में आशुलिपिकों हेतु तीन पद यथा आशुलिपिक ग्रेड वेतन 2800 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 ग्रेड वेतन 4200 एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 ग्रेड वेतन 4600 उपलब्ध है। आशुलिपिक से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा का प्राविधान है जबकि विभाग में कनिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 2000 के पद पर नियुक्त कर्मचारी की वरिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 2800 पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा का ही तथा बीच में 2400 ग्रेड वेतन का विलोपित कर उसके आगे 2800 का ग्रेड वेतन दिया जा रहा है इसी प्रकार विभाग में कार्यरत अवर अभिन्यताओं को नियुक्ति ग्रेड वेतन 4200 को उनकी प्रथम ए0सी0पी0 4600 को विलोपित कर 4800 को ग्रेड वेतन दिया जा रहा है। इस संबंध में संघ की अपेक्षा है कि :-	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष महोदय के समक्ष बैठक मे यह आदेश दिये गये थे कि अतिरिक्त अन्य विभाग में अगर इस शिथिलीकरण के संबंध में आदेश हुआ हो तो उनकी छायाप्रतियां संघ के पैड के माध्यम से उपलब्ध करायें, जिससे विषयक प्रकरण पर कार्यवाही की जा सकें। अवगत कराना है कि संघ द्वारा कोई भी पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।	संघ से अपेक्षा की गयी कि वे वांछित पत्र मुख्य अभियन्ता (मु0-2) को उपलब्ध करा दें तथा मुख्य अभियन्ता (मु0-2) प्रस्ताव विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित करायें।

	(अ)- आशुलिपिकों की प्रथम पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा को 08 वर्ष से घटाकर 05 वर्ष किया जाय। (ब)- जिस प्रकार विभाग में कनिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 2000 से अगले पदोन्नत पद वरिष्ठ सहायक के ग्रेड वेतन 2400 को विलोपित कर 2800 ग्रेड वेतन दिया जा रहा है। उसी प्रकार आशुलिपिक से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 पर पदोन्नत होने वाले आशुलिपिकों को 4200 ग्रेड वेतन को विलोपित कर 4600 तथा पद्नुसार वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 का पदोन्नति पर 4600 को विलोपित कर 4800 का ग्रेड वेतन दिये जाने का आदेश करने की कृपा करें।		
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत का शिथिलीकरण कर आशुलिपिकों की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 पर किया जाना। आशुलिपिक से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पद पदोन्नति अपेक्षित है। इस हेतु संघ की अपेक्षा है कि वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर अर्हकारी सेवाओं में 50 प्रतिशत शिथिलीकरण प्रदान कर आशुलिपिकों की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 पर की जाय। जैसा कि राज्य सरकार के अन्य विभागों में किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।
4	आशुलिपिकों का स्थायीकरण के प्रकरण लम्बित है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण की कमियों को तत्काल दूर कराते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण की जाये। यदि कोई प्रकरण पूर्ण है तो उनके तत्काल स्थायीकरण आदेश जारी किये जाये। संघ को अनुरोध किया गया कि वे भी अपने सदस्यों के लम्बित प्रकरणों पर यथा वांछित कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायें।
5	आशुलिपिक से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 पर पदोन्नति हेतु चयन चार्ट मांगे गये हैं किन्तु पदोन्नति की कार्यवाही लम्बित है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। यथा आवश्यक मुख्य अभियन्ता (मु0-2) अपने स्तर से प्रकरणों को पूर्ण कराने हेतु

			सम्बन्धित अधिकारी से वार्ता भी कर लें।
6	श्री फिरोज अहमद, आशुलिपिक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा अपनी मां की गंभीर बीमारी के दृष्टिगत निजीहित में जनपद उन्नाव से देवरिया जनपद के रिक्त पद पर स्थानांतरण का अनुरोध मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, के माध्यम से संस्तुति सहित प्रेषित किया गया था परन्तु उक्त अनुरोध के आधार पर कार्मिक को जनपद झांसी स्थानान्तरित कर दिया गया है।	प्रस्ताव शासन को प्रेषित है।	संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

उपरोक्तानुसार बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। संघों द्वारा अपना प्रस्तावित आन्दोलन तत्काल वापस लेने का आश्वासन दिया गया। प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन) द्वारा समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा सभी से मिलजुलकर काम करने तथा राजकीय हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने-अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किये जाने का आवहान किये जाने के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0
अरविन्द कुमार (जैन)
प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: 3531/व्यारव/सेवा0 संघ/मि0 एसो0/22 दिनांक: 28.10.2022

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव महोदय, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई-3), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. वैयक्तिक सहायक (मि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. श्री बीरेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
7. श्री राम हेत यादव, प्रदेश संयुक्त मंत्री प्रथम, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
8. श्री सुनील कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सर्किल आफिसेज मिनिस्टीरियल एसोसिएशन
9. श्री जे0पी0 पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री, उ0प्र0 लो0नि0वि0, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
10. श्री जितेन्द्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन।

28.10.22
(वी0के0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ